संख्या:36/2023/1255ई-2/तेरह-2023-01/2020-1427439

प्रेषक,

उमेश कुमार तिवारी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उ.प्र., प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक: 23 अगस्त, 2023

विषय:- वर्ष 2023-24 में बियर के निर्धारित मासिक "न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व" उठान में आ रही समस्या के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या:5947/दस-लाइसेंस-367/सुझाव आबकारी नीति/2023-24/खण्ड-3, दिनांक 28-07-2023 एवं पत्र संख्या:6200/दस-लाइसेंस-367/सुझाव आबकारी नीति/2023-24/खण्ड-3, दिनांक 07-08-2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उपर्युक्त संदर्भगत पत्रों के माध्यम से उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त प्रदेश के राजस्वहित एवं जनहित के दृष्टिगत आबकारी नीति वर्ष 2023-24 के प्रस्तर-3.6.1 को इस सीमा तक संशोधित किया जाता है कि वर्ष 2023-24 हेतु बियर की फुटकर दुकानों के लिये निर्धारित मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व के संपूर्ण मासिक उठान की अनिवार्यता को माह नवम्बर-2023 तक शिथिल करते हुये माह नवम्बर-2023 तक के अवशेष न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व एवं माह दिसम्बर-2023 के न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व के समतुल्य बियर का उठान 31 दिसम्बर-2023 तक कर लिया जाना बियर के समस्त फुटकर अनुज्ञापियों हेतु अनिवार्य होगा।

तद्नुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(उमेश कुमार तिवारी)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in